संख्या-5/2015/12सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1912/सी0डी0-46-3- 14-(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24.07.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 15.12.2014 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कार्यसूची संख्या-6 के अनुसार, अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु रू0 1,58,98,000/- (रू0 एक अरब अट्ठावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र) आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का लेखा-जोखा रखने तथा इस संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 का होगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा तथा वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस- 2014-231/14, दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं संख्या-बी-2-3361/दस- 2014-244/2014, दिनांक 28 नवम्बर, 2014 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्त प्रस्तर-1 में सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1,58,98,000/- (रू0 एक अरब अट्ठावन लाख अट्ठानबे हजार मात्र) में से रु0-61,49,000/-(रुपया इकसठ लाख उन्चास हजार मात्र) व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखा शीर्ष-''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-03-उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे, रु0-90,00,000/-(रुपया नब्बे लाख मात्र) लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-04-उ0प्र0 के अभाव गस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42 अन्य व्यय'' के नामें तथा रु0 7,49,000/-(रुपया सात लाख उन्चास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हजार मात्र) लेखा शीर्ष ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-05-उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-5/2015/12(1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट□ अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।